FORM No-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी), सोजत जिला पाली		पटवारी हल्का धाकड़ी तहसील सोजत जिला पाली

किस्म मुकदमा :: राजस्व विविध संख्या 34/2020

(आर0सी0एम0एस0 प्रकरण संख्या 2020/00047)

अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.02.2020	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के तहत ग्राम धाकड़ी पटवार मण्डल धाकड़ी के खसरा नम्बर 2292/1 रकबा 0.16 है. किस्म गै.मु. कब्रिस्तान, जो जिला कलक्टर महोदय, पाली के आदेश कमांक/एफ12(3)(16)/राज/92/952 दिनांक 24.02.1994 के द्वारा गै.मु. गोचर में से 0.16 है. भूमि कब्रिस्तान हेतु आरक्षित की गई, जिसका नामान्तरकरण 414 दिनांक 24.03.1994 के द्वारा अमलदरामद की गई। उक्त भूमि पर मुस्लिम समाज का कब्जा नहीं है तथा वर्तमान में खसरा नम्बर 2078 किस्म गै.मु. तालाब की पाल पर मुस्लिम समाज का कब्रिस्तान के रूप में उपयोग लिया जा रहा है। अतः उक्त आदेश एवं आदेश की पालना में पारित नामान्तरकरण संख्या 414 दिनांक 24.03.1994 को निरस्त फरमाया जावे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम धाकड़ी पटवार मण्डल धाकड़ी के खसरा नम्बर 2292/1 रकबा 0.16 है. किस्म गै.मु. कब्रिस्तान, जो जिला कलक्टर महोदय, पाली के आदेश कमांक/एफ12(3)(16)/राज/92/952 दिनांक 24.02.1994 के द्वारा गै.मु. गोचर में से 0.16 है. भूमि कब्रिस्तान हेतु आरक्षित की गई, जिसका नामान्तरकरण 414 दिनांक 24.03.1994 के द्वारा अमलदरामद की गई, जिसको निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिला कलक्टर महोदय द्वारा कब्रिस्तान हेतु आरक्षित की गई भूमि एवं उक्त आदेश की पालना में पारित नामान्तरकरण को धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के तहत निरस्त नहीं करवाया जा सकता है, इस हेतु विधि में अलग से प्रावधान उपलब्ध है। परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेश को निरस्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय में कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। निर्णय की प्रति तहसीलदार सोजत को प्रेषित हो। बाद पालना पत्रावली इस न्यायालय से शुमार फैसल होकर नम्बर से कम हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर,पाली	